संख्या-21/2020/2493/22-2-2019-17(1134)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री भगवत नारायण मिश्रा, निवासी जनपद-औरैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी राजेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री भगवत नारायण मिश्रा जो बघा कटरा नेविलगंज, थाना-को0 औरैया, जनपद-औरैया का रहने वाला है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 03.05.2000 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-04/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 404, 506 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 20.08.2002 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.09.2017 द्वारा यथावत रखा गया गया है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, औरैया ने अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी राजेश कुमार मिश्रा (बन्दी संख्या-563/2013) पुत्र श्री भगवत नारायण मिश्रा, निवासी जनपद-औरैया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2020/2493(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, औरैया ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in